औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं के लिए आज से ओटीएस योजना

बकाया सरचार्ज पर शतप्रतिशत की छूट : निजी संस्थानों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को भी मिलेगी राहत

लखनऊ। कोरोना महामारी से प्रभावित निजी संस्थानों, वाणिज्यिक व औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मंगलवार से एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शुरू हुई ओटीएस में बकाया बिजली बिल के सरचार्ज पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। योजना 31 दिसंबर 2021 तक लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के दौरान वाणिज्यिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में आए व्यवधान व उनकी परेशानियों को देखते हुए यह सुविधा दी जा रही है। कोविड-19 ओटीएस का लाभ निजी संस्थान, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी वाणिज्यिक उपभोक्ता व औद्योगिक श्रेणी के बकायेदार ले सकेंगे। इन्हें 30 नवंबर तक के बिजली बकाये पर यह छूट मिलेगी। ब्यूरो

ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी

ओटीएस का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को संबंधित अधिशासी अभियंता, एसडीओ कार्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण पावर कार्पोरेशन की वेबसाइट www.upenergy.in पर होगा। पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 तक के बिजली बिल में प्रदर्शित मूल धनराशि का 30 प्रतिशत तथा 30 नवंबर 2020 के बाद के वर्तमान देयों को साथ जमा कराना होगा।

ओटीएस के लिए चलेगा अभियान : 2